न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–250/2011 (जीसीएमएस नं. 2011/00026)

01. विक्रमसिंह पुत्र श्री बंशीलाल, जाति यादव, निवासी व्यासों की ढाणी, ग्राम खन्नीपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट

बनाम

01. प्रकाशचन्द (दौराने अपील मृतक)
    1/1. चन्द्रकला पत्नी स्व. प्रकाशचन्द,
    1/2. राजेश कुमार पुत्र स्व. प्रकाशचन्द,
    1/3. मनोज कुमार पुत्र स्व. प्रकाशचन्द,
    1/4. संदीप कुमार पुत्र स्व. प्रकाशचन्द निवासी ग्राम यादव खेडा, पोस्ट खन्नीपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
02. सत्यनारायण,
03. सन्तोष कुमार,
04. सत्यवीर सिंह,
05. राजाराम पुत्रान बंशीलाल, जाति यादव, निवासी ढाणी व्यासों की ढाणी ग्राम खन्नीपुरा तहसील आमेर, जिला जयपुर।
06. राजेश कुमार पुत्र प्रकाश चन्द, जाति यादव निवासी ढाणी व्यासों की ग्राम खन्नीपुरा तहसील आमेरे, जिलो यजपुर।
07. रूकमा बेवा भूरामल,
08. जगदीश पुत्र भूरामल,
09. लालूराम पुत्र भूरामल,
10. कैलाश पुत्र भूरामल, जातियान जाट निवासीयान देवबक्श पटेल की ढाणी, दादर बावड़ी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
11. मुरलीधर पुत्र नरसी जाति यादव, निवासी ढाणी व्यासों की ग्राम खन्नीपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
12. प्रभू पुत्र सुवाराम,
13. लालूराम पुत्र सुवाराम, जातियान यादव निवासीयान ढाणी व्यासों की ग्राम खन्नीपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
14. राजेन्द्र पुत्र रामगोपाल, जाति यादव निवासी–2–डी/364–ए चित्रकुट योजना जयपुर।
15. जयसिंह पुत्र रामगोपाल जाति यादव निवासी ढाणी व्यासों की ग्राम खन्नीपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
16. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. श्री घीसालाल कुमावत, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री कैलाश नारायण शर्मा एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की ओर से

निर्णय

दिनांकः 03.01.2022

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.11.2011 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम यादव खेडा तहसील आमेर जिला जयपुर में अवस्थित आराजी खसरा नम्बर 86, 88 लगायत 94 व 99 कुल किता 9 कुल रकबा 13.99 हैक्टयर के खातेदार अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या तीन सन्तोष कुमार खसरा नम्बर 111/1 रकबा 1.89 हैक्टयर के खातेदार अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट संख्या तीन सन्तोष कुमार व रेस्पोडेट संख्या पॉच राजाराम एवं ग्राम दादरबाड़ी में अवस्थित आराजी खसरा नम्बर 176 लगायत 179, 183 लगायत 185 व 187 कुल किता 8 कुल रकबा 13.19 हैक्टयर के 1/5 हिस्से के खातेदार अपीलार्थी विक्रम सिंह राजस्व भू अभिलेखों में काबिज खातेदार काश्तकार दर्ज चले आये है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि दौराने भू प्रबन्ध फर्जी व साजसी विभाजन पत्र के आधार पर भू प्रबन्ध के कारकुनान से साज व षड़यंत्र रचकर आराजी खसरा नम्बर 76/1.74 व 93/0.53 हैक्टयर की खातेदारी रेस्पोडेन्ट संख्या तीन सन्तोष कुमार ने खसरा नम्बर 94/1.02, 99/4.00 हैक्टयर की खातेदारी रेस्पोडेन्ट संख्या पांच राजाराम पुत्र बंशी ने तथा आराजी खसरा नम्बर 111/1/1.89 हैक्टयर की खातेदारी रेस्पोडेन्ट संख्या दो सत्यनारायण ने व खसरा नम्बर 176 से 179, 183 से 185 व 187 कुल किता 8 कुल रकबा 13.19 हैक्टयर में अपीलान्ट के नाम से दर्ज 1/5 भाग की खातेदारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रकाशचन्द ने सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी आमेर से दिनांक 21.06.1993 को आदेश पारित कराकर उसके आधार पर नामान्तरकरण उसी दिन तस्दीक कराकर अपने नाम से दर्ज करा लिया जिसका ज्ञान होने पर अपीलान्ट ने प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अनुचित व अवैध रूप से निर्णय आदेश अधीन अपील दिनांक 30.11.2011 के द्वारा अपीलार्थी की अपील न्याय शास्त्र के सिद्धान्तों के विपरित जाकर खारिज की गई है जो आदेश परवर्स, आरबीट्रेरी एवं कान्ट्रेरी टू लॉ होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि विचारण न्यायालय सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी को विवादास्पद मामले को सुनने व निर्णित करने का कानूनन कोई अधिकार प्राप्त नही था इसलिये आदेश क्षत्रेाधिकार के बाहर जाकर पारित किया है तथा उक्त आदेश पालना में भरे गये नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य थे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर तनिक भी ध्यान ना देकर भयंकर कानूनी गलती की है इसलिये दोनों आदेश अधीन अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र पर खातेदारों के हस्ताक्षर नही है केवल अन्तिम पृष्ठ पर कुछ खातेदारों के हस्ताक्षर है जिसमें भी अपीलान्ट के फर्जी व साजसी हस्ताक्षर कर रखे है, अपीलान्ट ने कभी भी विभाजन प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर नही किये है पक्षकाराने को किसने पहचाना का भी उल्लेख नही है। इस प्रकार सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी से आदेश साजकर गुपचुप में पारित करवाया था जिस ओर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान ना देकर अनुचित व अवैध आदेश अधीन अपील पारित किया है। इसलिये भी दोनों आदेश अधीन अपील निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश अधीन अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर दिनांक 30.11.2011 एवं सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी कैम्प आमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.06.1993 व उसके आधार पर तस्दीक किये गये नामान्तरकरण निरस्त फरमाये जावें।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 ने कथन किया है कि ग्राम यादव खेडा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर जिनका विवरण अपील के पैरा संख्या 1 में वर्णित किया गया है के खातेदार अपीलार्थी व प्रत्यर्थीगण 1 लगायत 6 अपने हिस्सेनुसार खातेदार चले आ रहे है तथा भू प्रबंध अधिकारी ने दोनों पक्षों की आपसी रजामन्दी के आधार पर विभाजन कर नामान्तरकरण संख्या 10 व 20 दिनांक 21.08.1993 को स्वीकृत किया जिसके खिलाफ अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गई जिस अपील को अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर प्रथम जयपुर ने दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर निर्णित करते हुए अपील को मियाद अवधि में नही माना व अपील के आलौच्य आदेश को क्षेत्राधिकार में नही मानते हुए अपीलार्थी की अपील अपने निर्णय दिनांक 30.11.2011 के द्वारा खारिज कर दी गई है जो आदेश विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 ने कथन किया है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 225 के अधीन पेश की है जिसमें नामान्तरकरण संख्या 10 व 20 ग्राम खन्नीपुरा व यादव खेडा की वैधता को चुनौती दी है जो कानून अवैध है व अपील पोषनीय नही है तथा अपील नामान्तरकरण के आदेश के विरूद्ध अपील धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अधीन पेश की जाती है इसलिये भी उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पोषणीय नही है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नामान्तरकरण संख्या 10 व 20 ग्राम खन्नीपुरा व यादव खोड़ा के आदेश दिनांक 21.06.1993 की वैधता को दिनांक 11.08.2009 में चुनौती दी है इसलिये उक्त अपील मियाद बाहर है तथा अपील के साथ संलग्न आवेदन अधीन धारा 5 मियाद अधिनियम के मियाद को माफ करने का कारण न्यायोचित व युक्तियुक्त कारण नही माना है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 ने कथन किया है कि सह खातेदारों में आपसी रजामन्दी से धारा 53(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अधीन लैण्ड होल्डर तहसीलदार आमेर जिला जयपुर के समक्ष सहमति से विभाजन हेतु विधिवत आवेदन किया जिसके आधार पर उक्त आराजी का पक्षकारों की सहमति से विभाजन हुआ तथा सहमति से लिये गये विभाजन के विरूद्ध अपील धारा 96(3) सी.पी.सी. के अधीन पोषनीय नही है तथा लैण्ड होल्डर खातेदारों की सहमति से धारा 53(1) के अधीन विभाजन करने को अधिकृत है तथा जिस दस्तावेज/बंटवारानामा के आधार पर सहमति से विभाजन हुआ उस पर उभयपक्ष के हस्ताक्षर थे तथा कानून में यह उपधारणा की जाती है कि उक्त दस्तावेज को हस्ताक्षर करने वालों ने पढ़ सुन समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये है जो उक्त न्यायिक दृष्टान्त 2010 डी एन जे (एस सी) पेज 210 पर निर्णित किया हैं।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्याा 1 लगायत 6 ने कथन किया है कि अपीलार्थी ने मूल आदेश दिनांक 21.06.1993 की वैद्यता को सक्षम अपीलीय न्यायालय में अपील दायर कर चुनौती नही दी तथा नामान्तरकरण संख्या 10 व 20 जो कि उक्त मूल आदेश की एक्जीक्यूटींग आदेश है की वैद्यता को चुनौती दी है इसलिये मूल आदेश को विधिवत चुनौती न देने से एक्जीक्यूटींग आदेश के विरूद्ध अपील

संभागीय आयुक्त
जयपुर

पोषणीय नही है व मूल बंटवारे के आदेश को अपील द्वारा चुनौती दिया जाना आवश्यक है। उन्होने आगे कथन किया है कि उपरोक्त कानूनी उपबन्धों व तर्को के आधार पर अपीलार्थी की प्रथम अपील को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी की अपील को आदेश दिनांक 30.11.2011 के द्वारा खारिज की है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की उक्त द्वितीय अपील में उक्त कानूनी उपबन्धों/तर्को की रोशनी में प्रश्नगत अपील विधि संगत नही और अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधिसंगत है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि खातेदारान के मध्य आपसी रजामन्दी से किये गया बंटवारा के आधार पर उक्त नामान्तरकरण संख्या 10 व 20 दिनांक 21.06.1993 भरकर तस्दीक किये गये है जिसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष करीब 16 वर्ष पश्चात् असाधारण विलम्ब से अपील दिनांक 11.08.2009 को प्रस्तुत की गई है तथा अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई भी साक्ष्य, सबूत या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किया गया है जिससे उक्त बंटवारा आदेश को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध या शून्य घोषित किया गया हो। ऐसी स्थिति में उक्त बंटवारा के आधार पर स्वीकार किये गये नामान्तरकरण को निरस्त करने के ठोस कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपलब्ध ही नही थे। ऐसे में उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.11.2011 में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.11.2011 को यथावत रखा जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।